आदेश फलक

वाद संख्या :– 01/[illegible]/2023-24

नाम :– सामुचरण पुरती
पिता :– संग्राम पुरती
मौजा :– पारसुबेड़ा

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
03/05/23	आज दिनांक 03/05/23 को आवेदक सामुचरण पुरती ~~संग्राम पुरती~~, पिता– संग्राम पुरती, ग्राम– पारसुबेड़ा के द्वारा मौजा पारसुबेड़ा थाना सं०– 197, खाता सं०– 30, प्लॉट सं०– 411, रकवा– 1.41, किस्म जमीन .... में विवाद के संबंध में [illegible] आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 10/05/23 तक करें। अभिलेख दिनांक– 10/05/23 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी तांतनगर।	
10/5/023	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो इस प्रकार है – (1) मौजा-पारसुबेड़ा, थाना न-197 खाता-30 प्लॉट न-411, रकवा 1.41 ए० खतियान में ~~आबादी कुई~~ एवं पंजी-II में आबादी कुई एवं नाबालिग कुई जिसका पुत्र हो है नाम पर दर्ज है। वर्तमान में ~~..~~ आबादी कुई की मृत्यु हो चुकी है परन्तु ऑनलाइन में नाबालिग कुई जिसका	

कब्जा है अंकित है।

(11) प्रथम पक्ष आशुतोष पूरी पिता - भगवान पूरी द्वारा द्वितीय पक्ष गिरी हुई पिता - अमृत पूरी पर मौजा - पातुवेड़ा के खाता - 30 प्लॉट - 411 पर बने मकान का मरम्मती पकड़े एवं तोड़ डालने का आरोप लगाया है ग्रामीण मुण्डा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों ही एक ही खानदान के वंशज हैं परन्तु वर्तमान में खाता - 30 के खतियानी रैयत नागो दुई पिता कब्जा है अंकित है जो आरोपित भूमि का मरम्मती करा रहे हैं। गांव के लोग में यह बात कहा कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों ही खाता - 30 के खतियानी रैयत नागो दुई के अवहेलना करते हुए आपस में विवाद कर रहे हैं।

ग्रामीण मुण्डा राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक के गांव अभिलेख का अवलोकन किया गया अवलोकन के पश्चात भूमि समाधान दिवस में ग्रामीण मुण्डा के उपस्थिति में दोनों पक्ष को यह निर्देश दिया गया कि जिस जमीन पर उनके द्वारा दावा किया जा रहा उसका रैयत अभी अंकित है वर्तमान में उक्त भूमि खतियानी रैयत नागो दुई है रिश्ते की जमीन है इस संबंध में दोनों पक्ष को निर्देश दिया गया कि खतियानी रैयत के जीवित रहते उक्त भूमि पर दोनों का कोई हक नहीं है भविष्य में अगर उक्त भूमि पर चास-बास करना हो तो बिना रैयत के सहमति से उस पर चास बास नहीं करें साथ ही शांति व्यवस्था का बनाये रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त की गई।

अंचल अधिकारी
तांतनगर

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2024.12.30 14:20:11 +05:30
Location: 192.168.161.171